Chhattisgarh Rajya Gramin Bank Employees Association
Chhattisgarh Rajya Gramin Bank Officer's Organisation

Affiliated with AIRRBEA

B-122 Capital City Phase 2, Saddu Raipur -492014
Central Office AIRRBEA: Golders Green, Ground Floor, F-G Block, 1 Nazrul Islam Avenue (VIP Road), Kaikhali, Kolkata 700 052
Email- crgboogs@gmail.com, union.crgbea@gmail.com
Mobile- 98515 54101 / 95461 41090

General secretary - Ramesh Singh | General secretary - Rahul Kumar

पत्र क्रमांक/JF-8/2024-25 दिनांक 18.11.2024

प्रति,
श्रीमान अध्यक्ष महोदय
छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक
प्रधान कार्यालय – नवा रायपुर, छ.ग.

भारतीय स्टेट बैंक से अंकेक्षकों की प्रतिनियुक्ति, पदोन्नति प्रक्रिया एवं अनुरोध स्थानांतरण मे पारदर्शिता, सेवायुक्तों के ऋण एवं भत्तों के संदर्भ मे

संदर्भ – जाइंट फॉरम (CRGBEA&CRGBOO) द्वारा प्रेषित पत्र क्रमांक/15/2024, दिनांक – 08.07.2024
CRGBOO द्वारा प्रेषित पत्र क्रमांक/06/2024, दिनांक - 11.07.2024
जाइंट फॉरम (CRGBEA&CRGBOO) द्वारा प्रेषित पत्र क्रमांकJF/CRGBOO-EA/05/2023-24, दिनांक – 08.05.2023
जाइंट फॉरम (CRGBEA&CRGBOO) द्वारा प्रेषित पत्र क्रमांक/JF-03/2024-25, दिनांक – 19.10.2024

महोदय,
विष्यान्तर्गत छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक एम्पलाइज एसोसिएशन एवं छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक ऑफिसर्स ऑर्गेनाइजेशन द्वारा एसबीआई लेखा परीक्षकों की प्रतिनियुक्ति, कर्मचारी ऋण सीमा, ब्याज दर, अन्य भत्ते, आदि के संशोधन पर विभिन्न पूर्व संचार एवं उपरोक्त संदर्भित पत्रों का संदर्भ लें |

उपरोक्त संदर्भित पत्र क्रमांक/15/2024, दिनांक – 08.07.2024 के माध्यम से हमने आपसे आरआरबी कर्मचारियों को बड़े पैमाने पर पदोन्नति से बचाने के लिए शाखाओं में लेखा परीक्षकों/अंकेक्षक के रूप में एसबीआई कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाने का अनुरोध किया है। हालाँकि, अभी तक हमें इस पर कोई जवाब नहीं मिला है। जबकि हम मांग कर रहे हैं कि हमारे बैंक के महाप्रबंधक भी आरआरबी कर्मचारी होने चाहिए, शाखाओं के ऑडिट के लिए एसबीआई कर्मचारियों को नियुक्त करना एक प्रतिगामी कदम है। हमारे बैंक मे अधिकारी वर्ग-IV के अनुभवी, योग्य एवं निष्ठावान आचरण के अधिकारी कार्यरत है जिनका संस्था को प्रगतिशील बनाने मे अहम योगदान रहा है एवं उनकी नियुक्ति क्षेत्रीय प्रबन्धक/विभाग प्रमुख जैसे संस्था के शीर्ष महत्वपूर्ण पदों पर अपेक्षित भी है परंतु प्रबंधन तंत्र द्वारा संस्था मे कार्यरत अधिकारी वर्ग-IV के अधिकारियों को उनके अधिकारों से वंचित रख प्रवर्तक बैंक से संस्था मे अधिकारी वर्ग-IV के अधिकारी को विभाग प्रमुख (अंकेक्षण) के पद पर प्रतिनियुक्ति पर लाया गया है |

श्रीमान नाबार्ड द्वारा 12.09.2008 को प्रसारित वाई.एस.पी थोराट समिति की रिपोर्ट को स्वीकार्य करते हुए प्रायोजक बैंकों को प्रतिनियुक्त अधिकारियों की संख्या कम करनी थी/ वापस लेनी थी, जब आरआरबी मे अधिकारी वर्ग-IV एवं अधिकारी वर्ग-V के पद सृजित किए गये थे और भारत सरकार ने यह रुख अपनाया था कि आरआरबी के सभी पदों पर आरआरबी के अपने कर्मचारी पदस्थ रहेंगे | हम आशा करते है कि प्रबंधन प्रवर्तक/प्रायोजक बैंक से प्रतिनियुक्ति पर आये अधिकारी वर्ग-IV के विभाग प्रमुख को वापस भेजते हुए किसी भी अधिकारी वर्ग-IV/III की प्रतिनियुक्ति संस्था मे नहीं की जाएगी |

भारत सरकार ने वेतन की कुल समानता को लागू करने के लिए एनआईटी अवार्ड के निर्देशों के अनुसार आदेश जारी किए है जिसकी भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी पुष्टि की गई परंतु सेवायुक्तों के विस्तार में हमारे बैंक में भेदभाव अभी भी जारी है। प्रायोजक बैंक के समान ऋण, भत्ते आदि, जिसमें ऋण की मंजूरी के सभी नियम और शर्तें शामिल हैं को कई आश्वासनों के बावजूद भी पिछले कई वर्षों से स्थिति में कोई सुधार नहीं किया गया है।श्रीमान आपके अवलोकन हेतु आवास ऋण, कार ऋण और व्यक्तिगत ऋण से संबंधित एक तुलनात्मक चार्ट इस पत्र के साथ संलग्न है।

हमें यह बताने में कोई झिझक नहीं है कि प्रबंधन को सौहार्दपूर्ण औद्योगिक संबंधों में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है और वह आम तौर पर कर्मचारियों और विशेष रूप से एसोसिएशन/यूनियन में किसी भी आपसी विश्वास और वार्ता से बच रहा है, जिसके परिणामस्वरूप व्यापक अंतर पैदा हो गया है।

इस पृष्ठभूमि में, हम निम्नलिखित मांगें रखते हैं:

1- हमारे बैंक की शाखाओं के ऑडिट के लिए एसबीआई कर्मचारियों को तैनात करने के प्रस्ताव को तत्काल रद्द किया जाए।

2- स्टाफ ऋण : स्टाफ ऋण को कई सालों से संशोधित नहीं किया गया है। सभी ऋणों और अग्रिमों की स्वीकृति की नियम-शर्तें और ब्याज दर प्रायोजक बैंक के समान लागू की जाए। समस्त स्टाफ ऋणों का ऋण रक्षा बीमा से कवर किया जाए जिसका प्रीमियम बैंक द्वारा भुगतान करने का कष्ट करें |

3- स्थानांतरण नीति में संशोधन: वर्तमान स्थानांतरण नीति प्रबंधन द्वारा यूनियन/एसोसिएशन से परामर्श किये बिना लागू किया गया है। माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी की हालिया टिप्पणियों को मद्देनजर रखते हुए नवीन स्थानांतरण नीति यूनियन/एसोसिएशन से परामर्श उपरांत लागू करने की मांग करते हैं।

4- अन्य भत्ते: -

(a) ड्यूटी के दौरान दो पहिया वाहन का उपयोग करने के लिए परिवहन शुल्क को संशोधित करने का कष्ट करें |
(b) सभी आरआरबी में प्रचलित मौजूदा वाहन भत्ते के स्थान पर घोषणा के आधार पर सभी कर्मचारियों को अधिकारियों/कार्यालय सहायकों/कार्यालय परिचारकों को प्रति माह 100/70/50 लीटर ईंधन भत्ते लागू करने का कष्ट करें |
(c) प्रायोजक बैंक में उपलब्ध सुविधा की तर्ज पर सेवायुक्तों हेतु लीज हाउस एकोमोडेशन लागू करने का कष्ट करें |
(d) सभी अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए रु.15,000/ की लागत तक वार्षिक स्वास्थ्य जांच की सुविधा लागू करने का कष्ट करें |
(e) उच्च मुद्रास्फीति को देखते हुए सेवायुक्तों के सेवानिवृत्ति पर खर्च की जाने वाली राशि मे वृद्धि करने का कष्ट करें एवं कार्यालय परिचारक वर्दी भत्ते को उचित रूप से संशोधित करने का कष्ट करें |

5- आधारभूत संरचना: -

(a) सभी शाखाओं मे बहु मूल्यवर्ग गिनती मशीन सह नोट छँटाई मशीनें उपलब्ध करवाने का कष्ट करें |
(b) सभी शाखाओं/कार्यालय मे महिला कर्मचारियों के लिए परिसर के भीतर अलग शौचालय की सुविधा की सुनिश्चितता |
(c) हमारे क्रीम ग्राहकों के बड़े पैमाने पर प्रवास को रोकने के लिए सभी प्रौद्योगिकी का उन्नयन और ग्राहकों तक सभी आईटी सेवाओं का विस्तार | सी-एज की तकनीक और उनकी सेवाएँ बहुत धीमा और पुराना हैं जिसके परिणामस्वरूप हमारे ग्राहक आधार में तकनीकी प्रॉडक्ट के प्रति गिरावट आई है |

6- यूनियन कार्यालय के लिए कार्यालय स्थान/किराया भुगतान प्रदान करना, जैसा कि अन्य आरआरबी में भुगतान किया जाता है |

7- विकलांगता अधिनियम 2016 के अनुसार शारीरिक रूप से विकलांग (पीएचसी) स्टाफ को चार दिन का विशेष आकस्मिक अवकाश स्वीकृत करने का प्रावधान एचआरएमएस मे शामिल करने का कष्ट करें |

8- सेवायुक्तों को स्वीकृत किए जाने वाले अनिवार्य छुट्टी (MANDATORY LEAVE) की अर्जित अवकाश से कटौती बंद करने का कष्ट करें |

9- नई भर्ती हुए कर्मचारियों पर काम का भारी बोझ, उचित प्रशिक्षण सुविधाओं की कमी और प्रायोजक बैंक की तुलना में वेतन और भत्तों में भारी अंतर के कारण हमारे बैंक में कर्मचारियों की नौकरी छोड़ने की दर बहुत अधिक है। इससे फ्रंट ऑफिस स्टाफ विशेषकर कार्यालय सहायकों पर भारी बोझ पैदा हो रहा है। इससे उन्हें बैंकों में काम के घंटों के बाद भी देर तक रुकना पड़ता है, जिससे उनका कार्य-जीवन संतुलन बिगड़ जाता है। इसलिए मित्रा कमिटी की सिफारिशों के अनुसार कर्मचारियों की भर्ती करने का कष्ट करें |

10- ग्राहक की सहमति के बिना भी ग्राहकों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत नामांकित करने के लिए कॉन्फ्रेंस कॉल/गूगल मीट आदि के माध्यम से कार्यालय सहायकों पर दबाव डाला जा रहा है, इस प्रक्रिया को तुरंत बंद करने का कष्ट करें |

11- कार्यालय सहायकों को बिना किसी ओवरटाइम भत्ता के बैंक के कामकाजी घंटों के बाद भी बैठने के लिए मजबूर किया जाता है। इस प्रथा को तुरंत बंद करने का कष्ट करें |

12- Ex-serviceman के लंबित वेतन फिटमेंट को तत्काल लागू करने का कष्ट करें |

13- ऋणों की स्वीकृति के लिए लॉगिन दिवस को सामान्य रूप से तुरंत बंद कर दिया जाना चाहिए और विशेष रूप से, ऋण पोर्टफोलियो के विविधीकरण, अन्य ऋण की स्वीकृति के लिए लॉगिन दिवस घोषित किए जाते हैं और कर्मचारियों पर लॉगिन दिवस पर ऋण स्वीकृत करने के लिए दबाव डाला जाता है, जिससे अनियमितताएं होती हैं और इसके बाद पत्र जारी किए जा रहे हैं और जवाबदेही तय की जा रही है। इस प्रथा को तुरंत बंद करने का कष्ट करें |

14- स्वैच्छिक/ अनुरोध स्थानांतरण :- बैंक मे स्वैच्छिक/ अनुरोध स्थानांतरण की वर्तमान व्यवस्था यह है कि सेवायुक्त क्षेत्रीय कार्यालय के माध्यम से आवेदन प्रेषित करते है किन्तु कुछ जरूरतमंद सेवायुक्तों के आवेदन संबन्धित क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा अग्रेषित किये जाने मे अत्यधिक विलम्ब किया जाता है / प्रेषित नहीं किया जाता है | इससे सेवायुक्तों के आवेदन विचारार्थ हेतु उच्च प्रबंधन के समक्ष प्रस्तुत ही नहीं हो पाते है | स्वैच्छिक/अनुरोध स्थानांतरण पर विचार हेतु एक निर्धारित समय सीमा भी बैंक द्वारा निर्धारित नहीं की गयी है, प्रायः यह देखा जा रहा है कि सेवायुक्तों द्वारा प्रेषित स्वैच्छिक/अनुरोध स्थानांतरण आवेदन स्वीकार्य होने मे 2-3 वर्ष लग जाते है | इसी संदर्भ मे हमारा सुझाव है कि बैंक द्वारा इस वर्ष जिस प्रकार से अंकेक्षण विभाग, आईटी विभाग एवं जगदलपुर क्षेत्र मे कार्य करने हेतु सेवायुक्तों से HRMS के माध्यम से स्वैच्छिक/अनुरोध स्थानांतरण आवेदन प्राप्त किये गये हैं ठीक उसी प्रकार प्रतिवर्ष स्वैच्छिक/ अनुरोध स्थानांतरण आवेदन भी HRMS पोर्टल के माध्यम से प्राप्त करने की प्रक्रिया प्रारंभ करने का कष्ट करें जिससे आवेदन की तिथि एवं निराकरण की तिथि स्पष्ट हो |

15- बैंक की पदोन्नति प्रक्रिया मे पारदर्शिता :- हम आपका ध्यान मानव संसाधन प्रबंधन (HRM) के समानता के सिद्धांत की ओर आकृष्ट करना चाहते है जिसके अंतर्गत किसी भी व्यावसायिक संगठन के सेवायुक्तों को कार्य के समान अवसर उपलब्ध कराये जाते हैं एवं बैंक के योग्य सेवायुक्तों को पर्याप्त कैरियर प्रगति प्रदान करने के लिए बैंक के पास प्रगतिशील, निष्पक्ष और पारदर्शी पदोन्नति प्रक्रिया का होना आवशयक होता है | वर्तमान मे बैंक की पदोन्नति प्रक्रिया पारदर्शी नहीं है इसी संदर्भ मे छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक एम्पलाइज एसोसिएशन एवं छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक ऑफिसर्स ऑर्गेनाइजेशन के सदस्यों की तरफ से हमारा सुझाव है कि जिस प्रकार किसी भी वितीय संस्थान की चयन प्रक्रिया हेतु IBPS द्वारा सभी अभ्यर्थियों को उनके द्वारा अर्जित अंक की जानकारी पोर्टल के माध्यम से प्रदाय की जाती है ताकि चयनित नहीं हुए अभ्यर्थियों को आगामी अवसर पर अपनी कमियों को दूर करते हुए सफलता प्राप्ति हेतु चयन प्रक्रिया मे भाग ले सके, ठीक उसी प्रकार बैंक की आंतरिक पदोन्नति प्रक्रिया मे भी भाग लेने वाले सेवायुक्तों को HRMS के माध्यम से लिखित परीक्षा, व्यक्तिगत साक्षात्कार एवं वार्षिक वैयक्तिक दक्षता प्रतिवेदन के अंकों की जानकारी प्रदान की जानी चाहिये ताकि पदोन्नत नहीं हुए सेवायुक्त आगामी अवसर पर अपनी कमियों को दूर करते हुए सफलता प्राप्ति हेतु पदोन्नति प्रक्रिया मे भाग ले सकें |

16- Out of pocket expenses: - बैंक के अधिकारियों द्वारा बैंक से संबंधित महत्वपूर्ण कार्यों के निष्पादन, समय-समय पर केंद्र/राज्य सरकार द्वारा जारी योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु, आईटी क्षेत्र से संबंधित 24*7 की सेवाएँ एवं चेक क्लीयरिंग हेतु सेवाएँ अवकाश के दिनों मे भी उपस्थित होकर दिया जा रहा है | बैंक के अधिकारियों द्वारा कार्यालयीन दिवसों मे भी आवशयकतानुरूप कार्यालयीन समय से अधिक समय तक शाखाओं/कार्यालयों मे रुक कर महत्वपूर्ण कार्यों का निपटान/ निष्पादन किया जाता है | बैंक के प्रति कर्तव्यनिष्ठा के साथ कार्य निष्पादन करने वाले अधिकारियों हेतु एक निश्चित प्रतिपूर्ति राशि प्रयोजक बैंक की भांति प्रदान करने की स्थायी सुविधा लागू करने का कष्ट करें | इस सुविधा के लिए निर्धारित राशि मे संशोधन हेतु बैंक मे कुछ अवसरों पर भुगतान की गयी राशि का उल्लेख पूर्व प्रेषित अनुरोध पत्र मे किया गया है | कृपया अवकाश के दिनों मे कार्यों के निष्पादन हेतु निर्धारित प्रतिपूर्ति राशि मे प्रयोजक बैंक के समानान्तर वृद्धि के साथ लागू करने का कष्ट करें |

पिछले कुछ वर्षों से प्रबंधन का ध्यान जमा, अग्रिम, एनपीए कटौती के मुख्य मापदंडों से हट गया है और विभिन्न अभियानों और अत्यधिक रिसॉर्ट्स में अभिनंदन के माध्यम से क्रॉस सेलिंग पर अधिक ध्यान दिया गया है | प्रधान/क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा शाखाओं में क्रॉस सेलिंग उत्पाद हेतु अत्यधिक दबाव के कारण अप्राप्य लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अनावश्यक कार्यकलाप किए जा रहे हैं। जिस कारण विभिन्न मंचों और ग्राहकों पर बैंक की छवि खराब हुई। हम अपने मुख्य व्यवसाय का त्याग करके क्रॉस सेलिंग उत्पादों की इस अवांछित बिक्री से अन्य वित्तीय संस्थानों के हाथों अपना बड़ा व्यवसाय खो रहे हैं। यह ध्यान दिया जा सकता है कि चालू वित्तीय वर्ष के दौरान, अब तक बैंक द्वारा क्रॉस सेलिंग उत्पादों जैसे एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस और एसबीआई म्यूचुअल फंड से संबंधित कई अभियान जारी किया गया है।

मानव संसाधन विभाग द्वारा यूनियन/एसोसिएशन के बीच उचित संचार की कमी के कारण, औद्योगिक संबंध तनावपूर्ण हो रहे हैं और हमारे द्वारा उठाए गए कई मुद्दे अनसुलझे हैं | अतः हम आपसे अनुरोध करते है कि कृपया उपरोक्त लंबित मुद्दों का शीघ्र निराकरण करने का कष्ट करें |

भवदीय

महासचिव
छ .ग.राज्य ग्रामीण बैंक ऑफिसर्स ऑर्गेनाइजेशन

महासचिव
छ .ग.राज्य ग्रामीण बैंक एम्पलाइज एसोसिएशन